राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4173/2022

प्रीति गोठवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. बन्नाराम, स्कूल व्याख्याता, गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर।
4. सैयद शाहिद अली, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त संशोधित अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता (गणित) के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, होदायली, दौसा में किया गया। उनका तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 25.09.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, होदायली, दौसा में किया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4547/2021 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2021 के द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया

था। इसके पश्चात् अपीलार्थी यथावत पूर्व पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहा। तद्परान्त प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 13.12.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, होदायली, दौसा में कर दिया, जिस पर पुनः अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष एक अपील संख्या 276/2021 पेश की, जिसमें भी अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.12.2021 को पारित करते हुए स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.12. 2021 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया।

3. उनका तर्क है कि अब पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कर कर दिया गया है एवं अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी शास्त्री नगर, जयपुर में कर दिया गया है, जो निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से किया गया है।
4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पूर्व में दो बार स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, होदायली, जिला दौसा में किया गया एवं अधिकरण द्वारा दोनों आदेशों को स्थगित किया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण उसी स्थान पर दुर्भावनापूर्वक किया गया है।
5. उनका यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 25.09.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, होदायली, जिला दौसा में किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी क्रम 3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर में किया गया। वर्तमान में बन्ना राम निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण द्वारिकापुरी, शास्त्री नगर स्थित विद्यालय से अन्यत्र किया जा चुका है। ऐसे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वारिकापुरी शास्त्री नगर, जयपुर में अन्य कार्मिक निजी प्रत्यर्थी क्रम–4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 09.08.2022 एवं 31.08.2022 को अपास्त किया जावे।

6. निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में माननीय अधिकरण द्वारा नये सिरे से स्थानान्तरण करने की छुट प्रदान की गयी थी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी 2017 से वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।
7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
8. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
9. पूर्व में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी किया गया था, उसे चुनौती दिये जाने पर अधिकरण ने स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2021 को पारित किया था, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ''प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्र है तथा ऐसे स्थानान्तरण पर उक्त स्थगन आदेश बाधक नहीं रहेगा।''
10. इसके पश्चात जब पुनः उपरोक्त दी गयी छुट के दृष्टिगत अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.12.2021 के द्वारा किया गया, तो अपीलार्थी ने इसे भी अपील संख्या 276/2021 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर चुनौती दी, जिसमें अधिकरण ने अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.12.2021 को पारित कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.12.2021 को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया था एवं यह भी स्पष्ट किया था कि ''प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जाता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।''
11. स्पष्ट है कि स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2021 जो पूर्व में अधिकरण द्वारा पारित किया गया था, उस आदेश में स्थानान्तरण नियमानुसार करने की छूट प्रत्यर्थी विभाग को दी गयी थी। इसी प्रकार दिनांक 15.12.2021 को जो स्थगन आदेश इस अधिकरण ने पारित किया था, उसमें स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण किया गया। वर्तमान में

स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है एवं आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर वर्ष 2017 से कार्यरत है। ऐसे में समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की दुर्भावना, नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

13. आदेश आज दिनांक 01.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)